न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः- 104 /अ-59/2017-18/ 11030 बैतूल दिनांक 10 / 9 /2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 100 रा. नि. मं. मासोद तहसील मुलताई द्वारा नायब तहसीलदार मुलताई के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम सहनगाँव तहसील मुलताई में आवासहीन व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत सहनगाँव द्वारा ग्राम सहनगाँव स्थित खसरा नंबर 193/1 रकबा 3.254 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.405 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ग्राम मे चरनोई का रकबा 2 प्रतिशत से कम होने के कारण रास्ता मद की भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव लिया गया गया है। रास्ता मद को आबादी घोषित किये जाने से ग्राम में निस्तार (आने जाने) में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, वर्तमान में पक्का रास्ता बन चुका है।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार मुलताई द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा सहनगाँव तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 193/1 रकबा 3.254 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.405 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 10-2-2018 को आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर मौजा सहनगाँव स्थित खसरा नंबर 193/1रकबा 3.254 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.405 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करवाने हेतु कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा सहनगाँव स्थित 193/1 रकबा 3.254 हेक्टेयर भूमि शासकीय रास्ता मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख के अनुसार भी उक्त खसरा नंबर रास्ता मद में दर्ज है।

(4)- नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) द्वारा, प्रतिवेदित किया गया है कि, प्रस्तावित खसरा नंबर 193/1 मद रास्ता का उपयोग वर्तमान मे ग्रामीण जन रास्ते के रूप में ही कर रहे है। राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। मौके पर लगभग 175 से 200 फुट चौड़ाई है । जिसमें 20 फुट रास्ता का आने जाने में उपयोग हो रहा है। शेष रास्ता के दोनो दिशाओ में 75 से 80 फुट भूमि रिक्त है। रास्ता मद की भूमि को आबादी घोषित किये जाने के उपरांत भी भविष्य में रास्ता हेतु 150 फुट लगभग चौड़ाई की भूमि रास्ता हेतु उपलब्ध रहेगी जो पर्याप्त है। पर्याप्त चौड़ाई शेष रहने के कारण मकान बनने के उपरांत आपातकालीन स्थिति में बड़े वाहन आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर नायब तहसीलदार मुलताई द्वारा मौजा सहनगाँव स्थित रास्ता मद के खसरा नंबर 193/1 मे से 0.405 हेक्टेयर भूमि को आबादी

(7)

घोषित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई द्वारा नायब तहसीलदार मुलताई के मत से सहमत होते हुए, उपरोक्तानुसार भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाँए पृथक रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./8670, दिनांक 04 अगस्त 2018 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के प्रकरणो को छोड़कर शेष समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- अतएव प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा सहनगाँव तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 193/1 रकबा 3.254 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.405 हेक्टेयर भूमि जिसे प्रकरण में संलग्न नक्शा प्रदर्श ''अ'' में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। उक्त नक्शा (प्रदर्श-''अ'') इस आदेश का अंग रहेगा।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 104 /अ-59/2017-18/ 11030 बैतूल दिनांक 10/9/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई की ओर सूचनार्थ।
2- नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
5- सचिव ग्राम पंचायत सहनगाँव जनपद पंचायत मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.